

परियोजना का नाम:- जनपद देहरादून के ग्राम अजबपुर कलां अन्तर्गत देवांचल विहार में नलकूप निर्माण हेतु अपेक्षित $(6.00 \times 5.00 = 30.00)$ वर्ग मी० अर्थात् 0.0030 है० (ग्राम समाजों में निहित, जंगल वन विभाग) भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.0030 हे० वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 657000=00—प्रति हे० है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु० 1971=00 होता है तथा वार्षिक लीज रेंट 6.67 प्रतिशत की दर से 131=00 रु० होता है।

जिलाधिकारी
जिला मजिस्ट्रेट
देहरादून